



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 कार्तिक 1947 (श10)

(सं0 पटना 1724) पटना, बुधवार, 19 नवम्बर 2025

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

10 नवम्बर 2025

सं० नि. प्रा./04-01-01/2024-2972—चूंकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित/विघटित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. और, चूंकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा संलग्न अनुलग्नक-1 में अंकित 310 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा-14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा कंडिका-4 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार अनुलग्नक-1 में अंकित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के उनकी उपविधियों में यथा वर्णित पदों के लिए निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 16.12.2025 (मंगलवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या 2629 दिनांक 10.09.2025 द्वारा 150 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों एवं पत्र संख्या 2655 दिनांक 12.09.2025 द्वारा 161 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों का मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि 31.08.2025 निर्धारित की गई है। बेगूसराय जिला के बछवाड़ा प्रखंड अंतर्गत विसनपुर कालीस्थान दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड को छोड़कर शेष 310 (150+160) प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों का मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 08.10.2025 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

4. उक्त के आलोक में अनुलग्नक-1 में अंकित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के निर्वाचन हेतु निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है:-

क्र०	निर्वाचन के प्रक्रम	तिथि
(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई. 1 में सूचना का प्रकाशन	17.11.2025 (सोमवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	03.12.2025 (बुधवार) एवं 04.12.2025 (गुरुवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	05.12.2025 (शुक्रवार) एवं 06.12.2025 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/प्रतीक आवंटन की तिथि	09.12.2025 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	16.12.2025 (मंगलवार) 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	16.12.2025 (मंगलवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vii)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	18.12.2025 (गुरुवार)

5. बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा- 14 में किये गए संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा-

- (i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव आदि पद सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।
- (ii) सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) पद, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) पद और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) पद आरक्षित किये जायेंगे।
- (iii) उपर्युक्त आरक्षित पदों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल पदों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।
- (v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, पद उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद रिक्त रहेंगे।
- (vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष पद बच जाते हैं, उन पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन पदों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेंगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।
- (vii) जिन समितियों में निर्वाचित होने वाले पदों की संख्या 12 (बारह) से कम होगी, उनमें निबंधक, सहयोग समितियाँ के पत्रांक 4992 दिनांक 01.11.2013 के आलोक में पदों की संख्या 12 मानकर एवं तदनुसार ऊपर वर्णित आरक्षण के प्रावधानों को लागू कर निर्वाचन संपन्न कराया जायेगा।

6. निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए अनुलग्नक-2 पर संलग्न प्रपत्र-ई० 1 में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना दिनांक 17.11.2025 (सोमवार) को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। प्रपत्र-ई० 1 को प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। निर्वाचन कार्यक्रम का मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका (20 सितम्बर, 2024 तक संशोधित) के अध्याय-3 की कंडिका-(1) से (5) में वर्णित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को प्रपत्र-ई० 3 (नए प्रकाशित निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका, 20 सितम्बर, 2024 तक संशोधित, में उल्लिखित) में विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई० 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्राधिकार के वेबसाइट पर भी ई-18 अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए।

8. मतगणना प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के दृष्टिकोण से वज्रगृह को सील करने, खोलने, सीलबंद मतपत्र की मतपेटिका को खोलने आदि महत्वपूर्ण घटनाओं की यथासंभव वीडियोग्राफी भी करायी जायेगी।

9. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कतिपय प्रविष्टियों के साथ अभिलेखों को भी प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। इसके संबंध में संलग्न परिशिष्ट-1 में निदेश दिये गये हैं।

10. निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् प्रपत्र-ई-18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) और निर्वाचन पदाधिकारी के नाम, हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिस पर निर्वाचन संपन्न हुआ है) की मूल प्रति स्कैन कराकर प्राधिकार के वेबसाइट पर परिशिष्ट-01 के निदेशों के अनुरूप अपलोड कराएँगे। अंतिम मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है।

11. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 18.12.2025 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश "सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका" के पृष्ठ 134-142 पर देखे जा सकते हैं।

आदेश से,
कयूम अंसारी,
संयुक्त सचिव।

निर्वाचन हेतु प्राथमिक दूध उत्पादक सहयोग समितियों की सूची :-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

क्र०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	संबद्ध संघ	समिति का नाम
1	2	3	4	5
138	लखीसराय	बड़हिया	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	प्रतापपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
139	लखीसराय	बड़हिया	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	बहादुरपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
140	लखीसराय	बड़हिया	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	भाट टोला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
141	लखीसराय	बड़हिया	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	लालदियारा तारनी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
142	लखीसराय	बड़हिया	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	सदाय बीघा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
143	लखीसराय	सुर्यगढ़ा	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	कटेहर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
144	लखीसराय	सुर्यगढ़ा	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	चकमसकन दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
145	लखीसराय	सुर्यगढ़ा	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	जकडपुरा जगदीशपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
146	लखीसराय	सुर्यगढ़ा	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	पोखरामा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
147	लखीसराय	सुर्यगढ़ा	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	भावानीपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
148	सीवान	लकड़ी नवीगंज	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	डब्बू दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
149	सीवान	लकड़ी नवीगंज	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	बथानी टोला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
150	सीवान	सिसवन	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	सुभाता दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
151	गोपालगंज	भोरे	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	खरग्राम छापरा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
152	दरभंगा	बिरौल	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	बैरमपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
153	दरभंगा	मनीगाछी	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	चकचिन्तामणिपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
154	दरभंगा	हनुमान नगर	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	डघरौल दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
155	दरभंगा	हायाघाट	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	बलिया दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
156	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	आदापुर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	गम्हरिया कला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
157	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	आदापुर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	धबधबवा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
158	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	कोटवा	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	कोन्हवा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
159	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	बनकटवा	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	अगरवा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
160	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	बनकटवा	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	गोविंदपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

क्र०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	संबद्ध संघ	समिति का नाम
1	2	3	4	5
299	समस्तीपुर	सरायरंजन	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	मेयारी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
300	समस्तीपुर	सरायरंजन	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	लगमा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
301	समस्तीपुर	सरायरंजन	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	हरिलोचनपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
302	समस्तीपुर	हसनपुर	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	आतापुर नकुनी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
303	समस्तीपुर	हसनपुर	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	परिदह दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
304	समस्तीपुर	हसनपुर	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	परोरिया दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
305	सीतामढ़ी	डुमरा	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	हरिहरपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
306	सीवान	आन्दर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	बारी टोला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
307	सीवान	भगवानपुर हाट	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	मलिकपुरा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
308	सीवान	रघुनाथपुर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	गोनहरिया दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
309	सीवान	रघुनाथपुर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	भाँटी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
310	सीवान	रघुनाथपुर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	हरनाथपुर महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड

कयूम अंसारी,
संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1724-571+50-डी०टी०पी०।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>